नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–06, नौएडा

पत्र संख्याः नौएडा / मु0वा0नि0 / 2024 / 4334
दिनांकः 20-9-2024

Mr. Ayyagari Viswanadha Sarma
(The IRP of M/s Hacienda Project Pvt. Ltd.)
Add-Deloitte India Insolvency Professionals LLP,
7th Floor, building 10, Tower B, DLF Cyber City,
Ph-II, Gurgaon, Haryana-122002

विषयः– ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–जीएच–01 / ए (बीटा), सैक्टर–107, नौएडा (M/s **Hacienda Projects Pvt. Ltd.**) का अधिभोग प्रमाण पत्र के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सिविल रिट पिटीशन संख्या–41110 / 2019 निर्मल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2024 को आदेश पारित किये गये है, जिसके पैरा नं0–117 में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

"117. The Noida Authority is directed to issue Occupancy Certificate/part Completion Certificate, as the case may be, and to execute tripartite agreement and registered deed in favour of flat buyer within a month."

उक्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एसएलपी संख्या–12784 / 2024 दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"Pending further orders, there shall be interim stay of the direction of the High Court contained in paragraph 114. However, all parties concerned shall endeavour to ensure that the direction of the High Court in paragraph 117 is duly implemented within time."

तदोपरान्त दिनांक 30.08.2024 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निम्नवत् आदेश पारित किये:–

"It is submitted that there is non-compliance with the direction given by this court in the order dated 11.06.2014 with specific reference to paragraph 117 of the impugned judgment. New Okhla Industrial Development Authority shall file an affidavit in this court within four weeks from the date of service of this order, stating as to whether it has complied with the directioin given in paragraph 117 of the impugned judgment. In case it has not complied with the same, the reason therefore will be indicated.

Interim order, subject to the modifications made today, will continue to operate, will the next date of hearing. "

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2024 में स्पष्ट उल्लेख है कि All parties concerned shall endearvour to ensure that the direction of the High Court in paragraph 117 is duly implemented within time. उक्त आदेश से स्पष्ट है कि पैराग्राफ 117 के अनुपालन की जिम्मेदारी सभी संबंधित पक्षों की है।

नौएडा भवन विनियमावली–2010 (यथा संशोधित) के अनुसार अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित प्रपत्र जमा कराये जाने का प्राविधान है:–

CHECKLIST-9B (For buildings on Plots other than individual residential plots)

- (i) 3 copies of drawings (one set cloth bounded) duly signed by Technical Person and owner.
- (ii) Completion fees.
- (iii) Valid time extension certificate, if applicable.
- (iv) Photographs of the building from front and side setbacks.
- (v) Photocopy of registration of Technical Person signing the plan and Appendices.

(vi) No Objection Certificate from Chief Fire Officer, wherever applicable.

(vii) No Objection Certificate from Explosive Department, wherever applicable.

(viii) Certificate from owner and structural Engineer regarding earthquake resistance of building as per Appendix 8/A/B/D, if applicable.

(ix) Copy of receipt of fees deposited with Power Company.

(x) Copy of receipt of payment of Water, Sewer connection charges, Metre charges if not submitted at the time of plan approval, and any other charges as may be required by the Authority.

(xi) Compact Disc of the building plan submitted.

(xii) Any other document as may be required from time to time.

(xiii) NOC for Environment from Environment Department if applicable.

(xiv) Affidavit regarding rain water harvesting.

(xv) Photographs of the building/ site and all documents to be self attested by the applicant.

उक्त प्रपत्रों के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0–35/– प्रति वर्ग मी0 की दर से शुल्क लिया जाता है। साथ ही प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र तथा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट लिया जाना भी आवश्यक है।

नौएडा प्राधिकरण द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किये जाते है। इसके लिए आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ मानचित्र तथा उपरोक्त वांछित प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किये जाने होते है। मानचित्र तथा प्रपत्रों के परीक्षण के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर अधिभोग प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किये जाते है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत नौएडा भवन विनियमावली, 2010 (यथा संशोधित) में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार समस्त प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अधिभोग हेतु ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(देवेन्द्र निगम)
वरि0प्रबन्धक (भ0प्र0)
नौएडा

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.पी.) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विधिक सलाहकार, नौएडा महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (नियोजन) महोदय को सादर सूचनार्थ।

वरि0प्रबन्धक (भ0प्र0)
नौएडा